

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

उदयदास पिता रामदास वैष्णव निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील भदेसर वगैरा
बनाम

चांदीबाई पत्नि गोपीदास बैरागी निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील भदेसर वगैरा

कार्यवाही :- प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन

प्रकरण संख्या 104/2024 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण के सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त। विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। अतः विपक्षी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश जोशी ने उपस्थिति दी। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस करना चाहते हैं। अतः उभय पक्ष के प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण के द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के पेश कर रखी है जिसके प्रकरण संख्या 19/2024 (नि.पं.) दर्ज होकर न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है जो काफी ठोस, सशक्त व सुदृढ़ आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होगी। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम लक्ष्मीपुरा में पट्टा संख्या 13 क्षेत्रफल 60 बाई 32 कुलिया 1920 वर्गफीट का जारी किया है जो विधि-विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा आराजी संख्या 205 में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है उस भूखण्ड पर 50</p>	



.....लगातार

वर्षों से भी अधिक समय से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण द्वारा मौके पर पक्की पत्थर के खण्डों की दीवार बनाकर उसमें गोबर की रोड़ी डाल रखी है तथा रोड़ी के पास ही निर्माण कराने के लिए ईंटें, रेत इत्यादि का ढेर लगा रखा है फिर भी उक्त स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा नियम 157(1) के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मौके की भौतिक स्थिति के बारे में कोई जांच पड़ताल किए बिना विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी कर दिया गया है जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए विपक्षी संख्या 1 मौके पर नींव खुदवा निर्माण करवा रही है जबकि उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण एवं उसके परिवार के सदस्यों का सार्वजनिक स्थल होकर उनके शामिलती कुएं के आगे की पड़त जमीन है जिसमें विपक्षी संख्या 1 ने निर्माण कार्य करवाना प्रारम्भ कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है यदि विपक्षी संख्या 1 के निर्माण को निगरानी के निस्तारण तक नहीं रूकवाया गया तो प्रार्थीगण का निगरानी कराना ही व्यर्थ हो जायेगा एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना किसी प्रकार से संभव नहीं होगा। निर्माण नहीं रूकवाने से मौके पर अनावश्यक विवाद होंगे एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी के निस्तारण तक वादग्रस्त स्थल की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि विवादग्रस्त भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 1 का 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा होकर ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष के पुराने गृहों का विनियमितकरण के तहत नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 13 दिनांक 22.07.2021 को जारी किया गया है वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जे-खर्चे के खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार जिस विवादित स्थल का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे एवं उसके मौका नक्शा एवं पंच रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें पट्टे के पश्चिम दिशा में कुआ का रास्ता, मौका नक्शा एवं पंच रिपोर्ट में दर्शाया गया है तथा पट्टे के पडौस में



भी पश्चिम दिशा में कुआ का रास्ता दिखाना स्पष्ट प्रतिवेदित है जिससे प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित पट्टा प्रार्थीगण के शामलाती कुएं के रास्ते की ओर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा विवादित भूखण्ड के जारी पट्टा संख्या 13 का अवलोकन किया जिसके तहत पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है और नियम 157 (1) के तहत पट्टा “जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो नियम 157(1) एवं (2) में वर्णित राशि जमा करवा पंचायत से पट्टा जारी करवा सकते हैं।” विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं फोटोग्राफ्स के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विवादित भूखण्ड पर कोई पुराना गृह/मकान निर्मित होना दर्शित नहीं होता है तथा नींव की खुदाई होकर नवीन गृह/मकान निर्माण करवाया जाने की पुष्टि होती है जबकि विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने, विपक्षी संख्या 1 के द्वारा मौके पर कोई निर्माण नहीं करवाने का कथन किया है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और विवादित भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं रूकवाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की भी पूर्ण सम्भावना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रकरण में हम स्थगन जारी किया जाना उचित मानते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षी संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा विवादित भूखण्ड के पट्टा संख्या 13 दिनांक 22.07.2021 की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति मूल निगरानी प्रकरण संख्या 19/2024 उनवान उदयदास वगैरा बनाम चांदीबाई वगैरा के ताफैसला बनाये रखी जावे। विपक्षी संख्या 1 चांदीबाई पत्नि गोपीदास बैरागी निवासी लक्ष्मीपुरा उक्त विवादित भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे एवं विवादित भूखण्ड की मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

